प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **57/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

खुशवरी सिंह निवासीः मेगा आवास, एम4 ब्लॉक, म.न. 1, माउण्ट ब्यू स्कूल रोड़, रकमपुरा, उदयपुर

.................**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2024 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/57/24/622–23 से लिखा गया जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/57/24/493 दिनांक 05.06.2024 से न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना का संबंध प्रधानाध्यापक जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 325–27 दिनांक 24.04.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी निर्धारित समयावधि में दी जा चुकी है अतः अपील खारिज फरमायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर के पत्र दिनांक 05.06.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध प्रधानाध्यापक जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र का अंतरण निश्चित समयावधि में कर देने से अपील खारिज योग्य है। अपीलार्थी को अंतरण की सूचना प्रेषित किये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह लोक सूचना अधिकारी, प्रधानाध्यापक जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर